

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खण्ड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 23, सोमवार, 22 अप्रैल, 2002/2 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सभा में निरन्तर व्यवधान के कारण कोई कार्य नहीं हो पाया	1-4

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 22 अप्रैल, 2002/2 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल शुरू करें। प्रश्न संख्या 401-श्री एन०टी० षण्णमुगम।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० येरननायडू मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा बशर्ते वे सभी अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात एक-एक कर सुनूंगा, यदि हर कोई बोलता है और कोई सुनता नहीं है तो मैं कैसे समझूँ कि आप क्या बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई उदाहरण हैं जब ऐसे प्रस्ताव नियम 184 के अधीन गृहीत किए गए और उन पर चर्चा की गई. . . (व्यवधान) ऐसे बीस उदाहरण हैं जब नौवीं लोक सभा, दसवीं लोक सभा, ग्यारहवीं लोक सभा और बारहवीं लोक सभा में सभा में ऐसे प्रस्ताव गृहीत किए गए और उन पर चर्चा की गई। . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया नारे न लगाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, एक बार श्री सोमनाथ चटर्जी ने नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पेश किया था. . . (व्यवधान) बिहार के मुद्दे पर ऐसी ही सूचना दी गई थी. . . (व्यवधान) इससे पूर्व भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री रामविलास पासवान द्वारा ऐसे ही प्रस्तावों की सूचनाएं दी गईं और गृहीत की गईं थी तथा उन पर चर्चा की गई थी। . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा, पहले प्रश्नकाल होने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद सभी नेताओं की बात सुनूंगा। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जब अध्यक्षपीठ द्वारा ऐसे प्रस्ताव गृहीत किए गए हैं। नौवीं लोक सभा, दसवीं लोक सभा, ग्यारहवीं लोक सभा और बारहवीं लोक सभा के दौरान भी ऐसे प्रस्ताव पेश किए गए थे। . . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। अगर पुरानी लोक सभा में ऐसे नोटिसेस कभी एडमिट नहीं हुए तो मैं इसे वापिस ले लूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज जी और श्री राम विलास पासवान जी द्वारा दिए गए ऐसे नोटिसेस एडमिट हुए हैं। . . . (व्यवधान) ऐसे नोटिसेस नौवीं लोक सभा में, दसवीं लोक सभा में और ग्यारहवीं लोक सभा में एडमिट हुए हैं। . . . (व्यवधान) यह गवर्नमेंट का फेल्योर है। . . . (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं यह जानता हूँ और मैंने इस संबंध में सर्वसम्मति बनाने का भरसक प्रयास किए हैं किन्तु यदि सर्वसम्मति नहीं बनी तो मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। श्री बनातवाला कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आप सब की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर अखिलेश, मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 23 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 अप्रैल, 2002/

3 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह

बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।
